आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
	2	3
13/12/24	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–41, प्लौट सं0– 14,17 रकबा क्रमशः 0.27, 0.08 ए0 कुल रकबा 0.35 ए0 पर श्री ओसी मियां पिता रसूल मियां के द्वारा जोत–कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 180/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा रहेया थाना सं0 345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–41, प्लौट सं0– 14,17 कुल रकबा 0.35 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री ओसी मियां पिता रसूल मियां के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा सिलदिलीया खुर्द के मांग पंजी II के पेज सं0 77/I पर दर्ज होकर वर्ष 2003–12 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई तामिल की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 13/12/2024 अंचल अधिकारी, मनातू। 13/12/2024 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अँचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केश नं० 136/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-रहैया जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अँचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 41, प्लौट- 14, 17 रकबा क्रमशः- 0.27, 0.08, कुल रकबा- 0.3500 पर औसी मियाँ पिता- रसूल मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 180/02-03 के अन्तर्गत दिनांक- 11-07-03 में मौजा- रहैया थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता नं० 41 प्लौट सं० 14, 17 कुल रकबा- 0.3500 की बंदोबस्ती उक्त रैयत औसी मियाँ पिता- रसूल मियाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी पंजी-II के पेज नं० 77/1 पर दर्ज होकर वर्ष -2003-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का -III

3
13/12/24

अनुशंसित
अंचल अमीन, मनातू
12/12/2024

12/12/24
RSI+CI

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केस नं० 136/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-रहैया जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 41, प्लॉट- 14, 17 रकबा क्रमशः- 0.27, 0.08, कुल रकबा- 0.35 ए० पर ओसी मियाँ पिता- रसूल मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 180/02-03 के अन्तर्गत दिनांक- 11.07.03 से मौजा- रहैया थाना नं० 345 के अन्तर्गत उक्त खाता नं०- 41 प्लॉट सं० 14, 17 कुल रकबा- 0.35 ए० की बंदोबस्ती रैयत ओसी मियाँ पिता- रसूल मियाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी पंजी-II के पेज नं०- 77/1 पर दर्ज होकर वर्ष-2003-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

13/12/24

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का-III

अनुशंसित
अंचल अमीन मनातू
12/12/2024

12/12/24
RSI+CI

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.17 17:13:13 +05:30
Location: 192.168.190.97